भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2266
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आरएमएनसीएच+ए रणनीति

†2266. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) रणनीति के तहत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ख) आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई विशिष्ट रणनीतियों का ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न राज्यों में उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी किस प्रकार की जा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, देश में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) कार्यनीति के तहत मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय/पहल किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक माँग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देता है। इन अधिकारों में निःशुल्क दवाएँ और उपभोग्य वस्तुएँ, प्रसव के दौरान निःशुल्क आहार, निःशुल्क निदान, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त आधान शामिल हैं। बीमार शिशुओं के लिए भी इसी तरह के अधिकार लागू हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।

- विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) और पहचान की गई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के साथ व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग और पीएमएसएमए दौरे के अलावा अतिरिक्त 3 दौरों के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के साथ ध्यान केंद्रित करती है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क, सम्मानजनक, आदरपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना और सेवाओं से इनकार करने पर शून्य सहिष्णुता अपनाना है, ताकि सभी रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोका जा सके।
- **लक्ष्य - गुणवत्ता सुधार पहल**, प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्राप्त हो।
- **प्रसवोत्तर परिचर्या के अनुकूलन** का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर जोर देकर और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को मजबूत करना है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस**, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के समन्वय में पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या के प्रावधान हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच कार्यकलाप है।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों तक पहुँच में सुधार के लिए दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में **प्रसव प्रतीक्षालय (बीडब्ल्यूएच)** स्थापित किए जाते हैं।
- विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की पहुँच में सुधार के लिए **आउटरीच शिविरों** का प्रावधान किया जाता है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक जुटाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर नज़र रखने के लिए किया जाता है।
- **सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या** के अंतर्गत, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयाँ (एसएनसीयू) स्थापित की जाती हैं, तथा बीमार और छोटे शिशुओं की परिचर्या के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) स्थापित की जाती हैं।
- **नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या** के अंतर्गत, गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की गृह-आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के पालन-पोषण की प्रथाओं में सुधार लाने और समुदाय में बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।

- निमोनिया के कारण होने वाली बाल रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 2019 से सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई (एसएएएनएस) पहल लागू की जा रही है।
- ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और बच्चों में दस्त के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान लागू किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत, 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात् रोग, कमियाँ, दोष और विकासात्मक विलंब) के लिए जाँच की जाती है ताकि बाल जीवता दर में सुधार हो सके। आरबीएसके के अंतर्गत जाँचे गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर जिला शीघ्र अंतक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए जाते हैं।
- माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम स्तनपान प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है, जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान के महत्व पर जोर दिया गया है।
- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु वर्ग (15 -49 वर्ष) की महिलाओं के बीच एनीमिया को कम करने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह अंतक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में लागू की गई है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए जाते हैं ताकि चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंतरंग रोगी चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान की जा सके।
- नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों और विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं को सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) स्थापित किए जाते हैं।
- किशोर आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) लागू किया जाता है, जिसमें सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना और किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (एएफएचसी) शामिल हैं।
- स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम (एबी-एसएचडब्ल्यूपी) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में क्रियान्वित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों, अधिमानतः एक पुरुष और एक महिला, को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए "स्वास्थ्य और आरोग्य राजदूत" (एचडब्ल्यूए) के रूप में नामित किया गया है।
- लाभार्थियों को कंडोम, मिश्रित मुख सेव्य गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी), नसबंदी, इंजेक्शन गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम), सेंटक्रोमैन (छाया) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों सहित विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प प्रदान किए जाते हैं।

- गर्भनिरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में मिशन परिवार विकास लागू किया गया है।
- नसबंदी स्वीकारकर्ताओं के लिए मुआवजा योजना, नसबंदी के लिए लाभार्थियों को मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करती है।
- लाभार्थियों को प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी), और प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक प्रदान किए जाते हैं।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा प्रदायगी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' मनाया जाता है।
- गर्भनिरोधक योजना की घर-घर डिलीवरी आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपीएलएमआईएस) लागू की जाती है।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करता है, ताकि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुँच में सुधार हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्वास्थ्य कार्यबल को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

दिनांक 24 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1,78,342 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को कार्यशील किया जा चुका है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को परिवर्तित करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं।

प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमताएँ विकसित करता है, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत बनाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में कमियों को पूरा करने के लिए नए संस्थानों का निर्माण करता है। 15वाँ वित्त आयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रदर्शन का नियमित रूप से समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता

है, सेवा प्रदायगी के लिए मानक स्थापित करके और उपलब्धियों को पुरस्कृत करके प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम की कार्यप्रणाली का समय-समय पर बाह्य सर्वेक्षणों, जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत प्रतिवर्ष सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

*****